Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 01-12-2005

Participants : Mishra Dr. Rajesh Kumar

>

Title : Need to impose duty on import of silk with a view to safeguard the interest of weavers in Varanasi, Uttar Pradesh.

डॉ. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेा रूप से वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, काटन इंडस्ट्रीज, वुडन ट्वाय इंडस्ट्रीज को आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आज वैश्वीकरण के युग में जिस प्रकार विदेशी कंपनी बाजार में अपना व्यवसाय जमा रही हैं और हमारे देश की उत्पादित वस्तुएं उनके साथ कंप्टीशन में पिछड़ रही हैं, उस दृटि से इस पर विशेा ध्यान देने की आवश्यकता है। वाराणसी क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हैं, उनमें निर्मित वस्तुओं का देश में ही नहीं विदेशों में भी भारी मांग है लेकिन संसाधनों की व्यवस्था न होने के कारण हमारे उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं के मुकाबले हमारे देश में निर्मित हर सामान अच्छा और टिकाऊ है। मार्केटिंग के क्षेत्र में बुनकरों द्वारा निर्मित सिल्क पर ड्यूटी लगाई जाती है जबकि विदेशी सिल्क में जो ड्यूटी लगायी जाती है वह कम होने के कारण विदेशों का माल सस्ता और पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्मित माल काफी महंगा हो जाता है। इसलिए विदेशों के सामानों और सिल्क पर और ज्यादा ड्यूटी होनी चाहिए ताकि हमारे बुनकर बाजार में उनका मुकाबला कर सकें। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए।